हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

52 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा

दिनांकः 02.11.2011

समयः अपरान्ह् 04:00 बजे

स्थान :– आयुक्त, कैम्प कार्यालय, देहरादून

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	मद संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	51 वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि	कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या	1 से 7 तक
2	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –01	वर्तमान में प्रचलित ऋषिकेश महायोजना 2011 को नई महायोजना आने तक यथावत् लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	8–10
3	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –02	ट्रांसपोर्ट नगर योजना मे आरक्षण वर्ग के रिक्त भूखण्डों को सामान्य वर्ग के आवेदकों को नीलामी–सह निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	11–15
4	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –03	हरिलोक आवासीय योजना के अर्न्तगत आरक्षित 16 आश्रय भवनों को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	16
5	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –04	हरिलोक आवासीय योजना के अर्न्तगत आवंटित 15 आश्रय भवनों के डिफाल्टर आवंटियों के आवंटन निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।	17
6	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –05	आवासीय योजनाओ में लीज पर आवंटित भूखण्डो एवं भवनों की लीज हस्तांतरण के सम्बन्ध में।	18
7	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –06	श्री बिहारी लाल पुत्र स्व0 श्री गागन दास द्वारा ऋषिकेश के खसरा सं0–74/7 मि0 जिसका भू–खण्ड क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी0 है, पर किये गये निर्माण को जिसका भू–उपयोग कार्यालय (G) के अन्तर्गत है, में व्यावसायिक/आवासीय निर्माण को शमन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	19
8	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –07	डा0 डी0के0 श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री वैधनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नम्बर–91(क) मि0 जिसका भू–उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	20
9	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –08	दुर्बल आय वर्ग भवनों के आवंटन में विधायक, सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी एवं राज्य सरकार के कार्मिकों एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिकों, (जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों) को देय आरक्षण के संबंध में।	21
10	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –09	चन्द्राचार्य चौक के विकास के मध्य शंकर आश्रम से भगत सिंह चौक की ओर मुडने हेतु बन रहे कर्व को दर्शित (Visual) करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की भूमि में से 32 वर्ग मी0 भूमि को अधिग्रहित करने के सम्बन्ध में।	22
11	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –10	शमन हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल के निर्धारण के सम्बन्ध में।	23
12	52 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 –11	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद।	24

प्राधिकरण की 51 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.05.2011 को आयोजित की गयी थी। इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 51 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

प्राधिकरण की 51 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21.05.2011 की

अनुपालन आख्या :–

मद संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
46.मद संख्या–2	प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2006–2025 पर प्राप्त आपत्तियों/ सुझावों के सम्बन्ध में।	प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप वर्ष 2006–2025 पर प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के सम्बन्ध में बैठक के निर्णय के अनुपालन में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष/आयुक्त की ओर से शासन को अनुस्मारक पत्र भेजा जाय।	निर्णय के अनुपालन में आयुक्त महोदय की ओर से पत्र संख्या 1663 दिनांक 19.08.11 शासन को प्रेषित किया गया है। वरिष्ठ नियोजक के पत्र संख्या 1780, दिनांक 12.08.2011 के क्रम में हरिद्वार महायोजना की UDPFI गाईड लाईन के अनुसार भू–उपयोग श्रेणियों को पुनः निर्धारित कर तैयार किये जाने हेतु रू0. 1.00 लाख का भुगतान वरिष्ठ नियोजक को दिनांक 05.09. 2011 को किया जा चुका है। शासन द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1619 दिनांक 16.09.11 के साथ वरिष्ठ नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या 2000 दिनांक 12.09. 2011 में हरिद्वार महायोजना–2025 के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों को प्राधिकरण बोर्ड का अभिमत प्राप्त कर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। (वरिष्ठ नियोजक द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 12.09.11 के साथ प्राप्त सुझाव संलग्न है)
46.मद संख्या–3 :	ऋषिकेश महायोजना भाग–ब का प्रारूप (2011–2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।	ऋषिकेश महायोजना भाग–ब का प्रारूप (वर्ष 2011–2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में सी.टी.सी.पी. द्वारा अवगत कराया गया कि सर्वे टीम के गठन के लिये उनके द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है जिसपर शासन का निर्णय अपेक्षित है।	S.T.C.P उत्तराखण्ड को PPP सेल द्वारा दिये गये सुझावों के बिड डाक्यूमेन्ट में सम्मिलित करते हुये संशोधित बिड डाक्यूमैन्ट उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 1777 दिनांक 30.08.11 द्वारा सूचित किया गया। वरिष्ठ नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या 2029 दिनांक 19.09.11 द्वारा प्रमुख सचिव आवास से विचार

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, की 52वीं बोर्ड बैठक दिनांक 2–11–2011 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 52वीं बोर्ड बैठक दिनांक 2–11–2011 को अध्यक्ष, ह0वि0प्रा0/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में आयुक्त कैम्प कार्यालय, देहरादून के सभागार में आयोजित की गयी :–

बैठक की उपस्थिति :–

1.	श्री अजय सिंह नबियाल, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री चन्द्रशेखर भट्ट, उपाध्यक्ष, ह0वि0प्रा0, हरिद्वार	उपाध्यक्ष
3.	श्री डी सैन्थिल पाण्डियन, जिलाधिकारी, हरिद्वार	पदेन सदस्य
4.	श्री एम0सी0जोशी, अपर सचिव, वित्त (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
5.	श्री एस0के0पन्त, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन सदस्य
6.	श्रीमती गरिमा रौकली, उप सचिव, आवास (प्रमुख सचिव, आवास के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
7.	श्री बी0एल आर्य, लेखाधिकारी, (प्रशासक नगर निगम, हरिद्वार के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
8.	श्री ए0एस0मिश्रवाण, अधिशासी अधिकारी, (अध्यक्ष, नगर पचायत मुनिकीरेती के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर भट्ट द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् अध्यक्ष/आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :–

(1) प्राधिकरण की 51वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21–05–2011 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना एवं कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार पुष्टि की गई ।

46(2) प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप वर्ष 2006–2025 पर बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा UDPFI गाईड लाईन के अनुसार दिये गये सुझावों पर विस्तार से विचार–विमर्श किया गया। बैठक में विचार–विमर्श के दौरान संलग्न सुझावों में निम्नवत बिन्दुओं पर संशोधन किया गया :–

(बिन्दु संख्या–9) शिवालिक नगर आवासीय योजनान्तर्गत ले–आउट स्तर के पार्को का भू–उपयोग पार्क ही रखे जाने का निर्णय बैठक में सर्व सम्मति से लिया गया।

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

			विमर्श उपरान्त सुझाव दिया गया कि शासन स्तर से बिड डाक्यूमेन्ट की स्वीकृति में समय लगने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये विशेषज्ञ एजेन्सी से ऋषिकेश महायोजना का सर्वेक्षण कार्य कराते हुये बेस मैप तैयार कर लिया जाय। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ नियोजक को बिड डाक्यूमेन्ट की जांच हेतु भेजा गया है। प्रचलित ऋषिकेश महायोजना को नई महायोजना आने तक यथावत लागू किये जाने हेतु भी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
46.मद संख्या–4 :	हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक।	हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एव पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने के प्रकरण में वांछित सूचनाएं एकत्र कर समुचित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में वांछित सूचना तैयार की जा रही है जो आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर दी जायेगी।
46.मद संख्या–7 :	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन सम्बन्धी।	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय के अनुपालन से बोर्ड अवगत हुए। बहादराबाद के आस–पास वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपेक्षा की गई कि सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य समस्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए भूमि अधिग्रहण अथवा आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने की कार्यवाही की जाय। बोर्ड इस मत से भी सहमत हुए कि इससे भूमि बैंक (Land Bank) के रूप में भी प्राधिकरण को सुविधा होगी।	निर्णय के अनुपालन मे प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करते हुए भूमि अधिग्रहण/आपसी सहमति के आधार पर क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। जिसके अन्तर्गत प्राप्त 03 प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।
49.मद संख्या–5 :	हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किया जाना।	हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजे जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1805, दिनांक 02.09.11 द्वारा शासन को अनुस्मारक भेजा गया।

(बिन्दु संख्या–12) हरिद्वार बाईपास से बैरागी कैम्प में स्थित घोड़ा पुलिस कैम्प की ओर जाने वाले मार्ग एवं नदी के मध्य के भाग में विद्यमान सम्पूर्ण भू–भाग को अर्द्धकुम्भ मेला/कुम्भ मेला के दृष्टिगत भू–उपयोग कुम्भ मेला ही रखे जाने का निर्णय बैठक में सर्व सम्मति से लिया गया।

बैठक में सर्व सम्मति से उपरोक्त दो संशोधनों के अनुमोदन के साथ ही वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा UDPFI गाईड लाईन के अनुसार दिये गये अन्य सुझावों पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए महायोजना प्रारूप वर्ष 2006–2025 को शासन के स्वीकृति/अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

46(3) प्रस्तावित ऋषिकेश महायोजना भाग–ब का प्रारूप वर्ष 2011–2026 को तैयार किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण स्तर से सर्वे आदि कार्य वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा UDPFI गाईड लाईन के सुझाव के अनुरूप नवीनतम तकनीकी (Technology) से कराये जाने तथा नयी महायोजना तैयार/लागू होने तक पुरानी महायोजना यथावत लागू रखे जाने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये ।

46(4) हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों को होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक निर्णय के क्रम में बोर्ड द्वारा वॉछित सूचना तैयार कराये जाने एवं तदनुसार आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

46(7) ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

49(5) हरिद्वार विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित कर्मियों के लिए मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (MACPS) के अनुरूप व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिये गये ।

49(6) प्राधिकरण में नियमित कार्मिकों को अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिये गये ।

49(7) श्री नारायण किशोर नौटियाल, डाटा इन्ट्री आपरेटर से आशुलिपिक के पद पर पदस्थानापन्न/समायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव न्यूनतम अर्हता पूर्ण किये जाने पर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।

Secretary, Vice Chairman Chairman/Commissioner

183

49.मद संख्या–6 :	प्राधिकरणो में कार्यरत नियमित कार्मिकों को अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0)के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किए जाने के सम्बन्ध मे।	प्राधिकरण में नियमित कार्मिकों को अंशदायी भविष्य निधि (सी0सी0एफ0)के अंशदान को 6.25 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा शासन को पुनः अनुस्मारक भेजे जाने के निर्देश दिये गये।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1806, दिनांक 02.09.11 द्वारा शासन को अनुस्मारक भेजा गया।
49.मद संख्या–7 :	श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर से आशुलिपिक के पद पर पदस्थानापन्न/ समायोजन के सम्बन्ध मे।	श्री नारायण किशोर नौटियाल डाटा इन्ट्री आपरेटर से रिक्त आशुलिपिक पद पर पदस्थानापन्न/समायोजन विषयक प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि न्यूनतम अर्हता तथा नियमों के सम्बन्ध में परीक्षण करने के उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में न्यूनतम अर्हतायें आदि हेतु पूर्ण होने पर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
49.मद संख्या–10 :	श्री मोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0ग्राम सलेमपुर महदूद जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया है एवं शासन से निर्णय अपेक्षित है।	निर्णय के अनुपालन में शासन द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन हेतु निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु अधिसूचना संख्या–1773 दिनांक 07.10.2011 निर्गत की गई है, जिसके अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है।
49.मद संख्या–11 :	श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला– हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।	बोर्ड को अवगत कराया गया कि श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0 लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक प्रकरण को संदर्भित किया गया है एवं शासन से निर्णय अपेक्षित है।	निर्णय के अनुपालन में भू–उपयोग परिवर्तन विषयक प्रकरण शासन को कार्यालय के पत्र संख्या 3854, दिनांक 31.03.11 द्वारा संदर्भित किया गया है।

49(10) श्री मोहन सिंह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन पर शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त समझा जाय।

49(11) श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन पर शासन के निर्देशानुसार आगामी बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

49(13–3) हरिद्वार विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को रतमऊ नदी तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों की राय प्राप्त करते हुए तद्नुसार आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

51(1) हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2011–12 का प्रस्तावित आय–व्ययक सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा बजट के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त समझा जाय।

51(9) ग्राम सलेमपुर महदूद–2 जिला हरिद्वार के खसरा नं0–1514 रकबा 0.349 हैक्टेयर को कृषि भू–उपयोग से औद्यौगिक भू–उपयोग में परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की स्पष्ट संस्तुति /अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

51(10) ग्राम सलेमपुर महदूद–2 के खसरा नं0–1535 एवं 1537 का भू–उपयोग कृषि से व्यवसायिक किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा वरिष्ठ नियोजक की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त प्राधिकरण की स्पष्ट संस्तुति /अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

51(13) प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण का भूमि बैंक (Land Bank) की स्थापना हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

52(1) वर्तमान में प्रचलित ऋषिकेश महायोजना 2011 को नई महायोजना आने तक यथावत लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से विचार–विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

49.मद संख्या–13 :	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।		
(13)2	श्री रामचन्द्र सिंह नेगी (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	श्री रामचन्द्र सिंह नेगी (अनुबन्ध के आधार पर) के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रगति से बोर्ड अवगत हुए।	निर्णय के अनुपालन मे श्री राम चन्द्र सिंह नेगी के पारिश्रमिक रू0. 5,000.00 से बढाकर उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 16.09.2011 से नियमानुसार रू0. 5,386. 00 कर दिया गया है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
(13)3	हरिद्वार विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को रतमऊ नदी तक बढाये जाने के सम्बन्ध में।	वरिष्ठ नियोजक के सुझाव के क्रम में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को रतमऊ नदी तक बढ़ाये जाने हेतु बोर्ड द्वारा निर्दश दिये गये कि तत्काल तहसील रूड़की से सजरा/खसरा आदि की नकले प्राप्त करते हुए सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या 1170, दिनांक 11 जुलाई 2011 द्वारा शासन को प्रस्ताव संदर्भित किया गया। उक्त के क्रम में शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1269/V/11–90(आ)/11, दिनांक 12.10.2011 द्वारा वरिष्ठ नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित संशोधन प्रस्ताव संख्या 2066, दिनांक 21.09.2011 को प्रेषित करते हुए विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र को सतमउ नदी तक बढाये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों की राय प्राप्त कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। तद्नुसार ग्राम प्रधानों/जनप्रतिनिधियों की राय प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
51.मद सं0–01 :	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2011–12 का प्रस्तावित आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2010–11 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2011–12 का प्रस्तावित आय–व्ययक एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 का वास्तविक आय–व्यय के सम्बन्ध में बैठक विस्तार से चर्चा की गयी तथा 2011–12 हेतु प्रस्तावित बजट में आय की अपेक्षा व्यय अधिक रखने पर आपत्ति जताई गयी एव अपेक्षा की गयी कि बजट को संतुलित किया जाय। तदानुसार प्रस्तावित बजट को उक्त संशोधन सहित सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में प्रस्तावित बजट के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

51.मद सं0–02 :	**प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय योजना में आरक्षित 16 भवनों के आवंटन की नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में।**	प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय योजना में आरक्षित 16 भवनों के आवंटन की नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में बैठक में विस्तार से चर्चा की गयी तथा बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त समस्त आवंटित 62 भवनों के समस्त आवंटियों का पूर्ण विवरण, बकायादारों की सूची आदि सम्बन्धी सूचनाओं सहित निस्तारण हेतु समुचित विकल्पों को प्रस्तावित कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में संदर्भित प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट सहित प्रस्ताव प्राधिकरण की 52 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 03 व 04 में अलग से रखा गया है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
51.मद सं0–04 :	**डॉ0 डी0के0 श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री वैद्यनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नं0–91 (क) मि0 जिसका भू–उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**	डा0 डी0के0 श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री वैद्यनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नं0–91 (क) मि0 जिसका भू–उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई तथा निर्देश दिये गये कि मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी समस्त नियमों इत्यादि का विस्तृत परीक्षण करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में संदर्भित प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट सहित प्रस्ताव प्राधिकरण की 52 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 07 में अलग से रखा गया है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
51.मद सं0–05 :	**सेवानिवृत्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं लेखपाल को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध में।**	सेवानिवृत्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं लेखपाल को अनुबन्ध पर रखे जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि संविदा पर कार्य विशेष हेतु नियत अवधि के लिए योजना व्यय में शामिल करते हुए नई योजना की आवश्यकता/उपयोगिता आदि को दृष्टिगत रखते हुए उपाध्यक्ष अपने स्तर से कार्यवाही कर सकते हैं। यह भी निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी हरिद्वार से सम्पर्क कर तहसील से इच्छुक सेवारत कार्मिकों को भी विशेष मानदेय देते हुए उक्त कार्य हेतु तैनात किया जा सकता है।	निर्णय के अनुपालन मे सेवानिवृत्त तहसीलदार श्री आनन्द प्रकाश बलौदी को संविदा पर रू0. 10,500.00 पारिश्रमिक भुगतान पर तैनात कर लिया गया है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
51.मद सं0–06 :	**प्राधिकरण में तकनीकी कार्मिकश्रेणी (अभियन्ता /मानचित्रकार) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु शुल्क को पुनः निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।**	प्राधिकरण में तकनीकी कार्मिक श्रेणी (अभियन्ता/मानचित्रकार) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु शुल्क को पुनः निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से सहमति प्रदान की गई।	निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण में पंजीकृत तकनीकी कार्मिक श्रेणी (अभियन्ता/मानचित्रकार) के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क वर्ष जनवरी 2011 से लागू कर दी गयी हैं। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।

51.मद सं0–07 :	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आरक्षण वर्ग के रिक्त भूखण्डों को सामान्य वर्ग के आवेदकों को नीलामी–सह निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव।	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आरक्षण वर्ग के रिक्त भूखण्डों को सामान्य वर्ग के आवेदकों को नीलामी–सह निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि उक्त योजना के समस्त विज्ञापनों के फलस्वरूप अब तक आवंटित भूखण्डों आदि के सम्बन्ध में विधि सम्मत सम्पूर्ण तथ्यों सहित आगामी बैठक में विस्तृत विवरण (Detail) सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्तुत करे।	निर्णय के अनुपालन में संदर्भित प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट सहित प्रस्ताव प्राधिकरण की 52 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 02 में अलग से रखा गया है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
51.मद सं0–08 :	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में सचिव एवं अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण स्तर के अधिकारी हेतु आवास निर्माण के सम्बन्ध में।	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में सचिव एवं अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार विकास प्राधिकरण स्तर के अधिकारी हेतु आवास निर्माण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपनी सहमति दी गई तथा निर्देश दिये गये कि आवासों के निर्माण के उपरान्त यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित अधिकारी उक्त आवासों में अवश्य निवास करें।	निर्णय के अनुपालन में दोनों आवासों के निर्माण हेतु निविदा प्राप्त कर अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्थल पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
51.मद सं0–09 :	ग्राम सलेमपुर महदूद–2 जिला हरिद्वार के खसरा नं0–1514 रकबा 0.349 हैक्टेयर को कृषि भू–उपयोग से औद्यौगिक भू–उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	ग्राम सलेमपुर महदूद–2 जिला हरिद्वार के खसरा नं0–1514 रकबा 0.349 हैक्टेयर को कृषि भू–उपयोग से औद्यौगिक भू–उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण का एस0टी0सी0पी0 से परीक्षण करा लिया जाय तदुपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में S.T.C.P द्वारा अपने पत्र संख्या 1607 दिनांक 28.07.11 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत खसरा न0 का भू–उपयोग प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना– 2025 में औद्योगिक हेतु प्रस्तावित है। अतः उक्त खसरा न0 1514 के उद्योग भू–उपयोग में परिवर्तन से हरिद्वार महायोजना 2025 में दिये गये भू–उपयोग प्रस्ताव प्रभावित नहीं होगे। प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
51.मद सं0–10 :	ग्राम सलेमपुर महदूद–2 के खसरा नं0–1535 एवं 1537 का भू–उपयोग कृषि से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।	ग्राम सलेमपुर महदूद–2 के खसरा नं0–1535 एवं 1537 का भू–उपयोग कृषि से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण का एस0टी0सी0पी0 से परीक्षण करा लिया जाय तदुपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या 1175, दिनांक 11.07.2011 द्वारा वरिष्ठ नियोजक को पत्र भेजा गया, आख्या अपेक्षित है।

51.मद सं0–11 :	प्राधिकरण में तकनीकी स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुये प्रोजक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण में तकनीकी स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी0एम0यू0) के गठन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रोजेक्ट के आगणन में ही उक्त हेतु बजट की व्यवस्था कर ली जाय।	निर्णय के अनुपालन में **PMU** गठन हेतु निविदा प्राप्त कर निविदा की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा चयनित एजेन्सी को अनुबन्ध हेतु कार्यालय आदेश संख्या 2512, दिनांक 24.10.11 में निर्गत किया जा चुका है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
51.मद सं0–12 :	प्राधिकरण द्वारा आमन्त्रित निविदाओं के विक्रय मूल्य को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा आमन्त्रित निविदा प्रपत्रों के विक्रय मूल्य को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई।	निर्णय के अनुपालन मे प्राधिकरण द्वारा आमंत्रित निविदा पत्रों की संशोधित दरें लागू कर ली गयी हैं अतः प्रकरण एंजेण्डा मद से समाप्त ।
51.मद सं0–13 :	प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं हेतु आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अपनी सैद्धान्तिक सहमति दी गई तथा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण अपने भूमि बैंक **(Land Bank)** की स्थापना हेतु प्रयास करें।	निर्णय के अनुपालन मे प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करते हुए भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। जिसके अन्तर्गत प्राप्त 03 प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।
51.मद सं0–14 :	श्यामलोक आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन संबंधी।	श्यामलोक आवासीय योजना में श्री वरूण छाछर पुत्र श्री डालचन्द छाछर को विवेकाधीन कोटे से भूखण्ड आवंटन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि शासनादेश में विवेकाधीन कोटे का कोई प्राविधान नहीं है। अतः प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से असहमति व्यक्त की गयी।	निर्णय के अनुपालन में प्रस्ताव निरस्त किया गया। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त।
51.मद सं0–15 :	शिवलोक आवासीय योजना भाग–3 में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर श्यामलोक आवासीय योजना में रिक्त भूखण्ड आवंटन किये जाने सम्बन्धी	शिवलोक आवासीय योजना भाग–3 में आवंटित भूखण्ड के स्थान पर श्यामलोक आवासीय योजना में रिक्त भूखण्ड आवंटन किये जाने सम्बन्धी श्री उमेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री महेश प्रसाद पाण्डेय को आवंटित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी तदोपरान्त श्री पाण्डेय को शिवलोक योजना भाग–3 से श्यामलोक आवासीय योजना में रिक्त भूखण्ड आवंटित किये जाने पर सहमति प्रदान की गई।	निर्णय के अनुपालन में शिवलोक आवासीय योजना भाग–3 में आवंटित भू खण्ड के स्थान पर श्यामलोक आवासीय योजना में रिक्त **MIG** भू खण्ड संख्या–16 आवंटित करते हुए श्री उमेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री महेश प्रसाद पाण्डेय को आवंटित करते हुए दिनांक 11.08.11 को विक्रय विलेख निष्पादन करते हुए कब्जा प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त ।

मद संख्या–52(01)

वर्तमान में प्रचलित ऋषिकेश महायोजना 2011 को नई महायोजना आने तक यथावत् लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना भाग–ब (ऋषिकेश महायोजना) की अवधि वर्ष 2011 तक है। महायोजना के पुर्नरीक्षण कार्य हेतु सर्वेक्षण एवं महायोजना का प्रारूप तैयार करने हेतु गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को अभिकरण घोषित करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की 46 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–03 पर रखा गया था। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि "एस.टी.सी. उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा भौतिक सर्वे करा लिया जाय। बोर्ड बैठक के निर्णय के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या– 953 दिनांक 24.06.2009 द्वारा वरिष्ठ नियोजक को ऋषिकेश महायोजना तैयार करने हेतु सर्वेक्षण इत्यादि के कार्य हेतु सूचित किया गया। उक्त पत्र के कम में एस.टी.सी.पी. द्वारा अपने पत्र संख्या–1582 दिनांक 07.07.2009 के द्वारा महायोजना सम्बन्धी कार्यो को प्राईवेट कन्सलटेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु विभाग स्तर से तैयार बिड डाक्यूमेन्ट प्रारूप प्रेषित करते हुये यह अनुरोध किया गया कि सर्वेक्षण कार्य के साथ महायोजना कार्य को एक साथ प्राईवेट कन्सलटेन्सी द्वारा कराये जाने में इसका उपयोग प्राधिकरण स्तर से किया जा सकता है। पुनः एस.टी.सी.पी. द्वारा अपने पत्र संख्या–1692 दिनांक 16.07.2009 द्वारा पूर्व प्रेषित बिड डाक्यूमेन्ट में संशोधन करते हुये ऋषिकेश महायोजना कार्य को प्राथमिकता पर कन्सलटेन्सी के माध्यम से कराये जाने पर कार्यवाही करने हेतु सूचित किया गया। प्राप्त बिड डाक्यूमेन्ट प्रारूप कर कार्यालय टिप्पणी पृष्ठ संख्या– 2 व 3 पर तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 10.08.2009 में यह निर्देशित किया गया है कि बिड डाक्यूमेन्ट की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर ली जाय। उक्त आदेशों के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1528 दिनांक 26.08.2009 द्वारा शासन को ऋषिकेश महायोजना तैयार करने हेतु बिड डाक्यूमेन्ट की प्रति स्वीकृति हेतु भेजी गयी। शासन द्वारा अपने पत्र संख्या– 1845 दिनांक 15.12.2009 द्वारा प्राधिकरण के उक्त पत्र के कम में बिड डाक्यूमेन्ट का हिन्दी रूपान्तरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। शासन के उक्त पत्र के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या– 2964 दिनांक 18.01.2010 द्वारा एस.टी.सी.पी. को बिड डाक्यूमेन्ट को हिन्दी रूपान्तरण हेतु सूचित किया गया। प्रभारी वरिष्ठ नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या–177 दिनांक 03.02.2010 द्वारा यह सूचित किया गया कि कार्याधिकता के

कारण इसका हिन्दी रूपान्तरण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उचित होगा कि प्राधिकरण स्तर से इसका हिन्दी रूपान्तरण शासन को उपलब्ध कराने के साथ–2 उसकी प्रति एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त के कम में प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से डाक्यूमेन्ट का हिन्दी रूपान्तरण कर इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1564 दिनांक 04.02.2010 द्वारा शासन को भेजा गया जिसकी प्रति एस.टी. सी.पी. को भी भेजी गयी। वरिष्ठ नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या– 2247 दिनांक 02.11.2010 जो अपर सचिव आवास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन को सम्बाधित तथा उसकी प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित है मे यह उल्लेख है कि संशोधित बिड डाक्यूमेन्ट को पी.पी.सेल से वैट कराने का कष्ट करें। पुनः शासन के पत्र संख्या–971 दिनांक 24.11.2010 के कम में प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या– 3051 दिनांक 21.01. 2011 को पुनः बिड डाक्यूमेन्ट का हिन्दी व अग्रजी रूपान्तरण की प्रति सीडी एवं हार्ड काफी में प्रेषित की गयी। शासन द्वारा अपने पत्र संख्या– 52 दिनांक 29.06.2011 द्वारा ऋषिकेश महायोजना तैयार करने हेतु प्रेषित डाकयूमेन्ट की प्रति में उत्तराखण्ड के अधिप्राप्ति नियमावली के अध्याय 04 के पैरा 53 के उल्लिखित बिन्दु एवं पीपीपी सेल द्वारा दिये गये सुझावो को सम्मिलित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी प्रति वरिश्ठ नियोजक को भी पृष्ठांकित थी । इसी मध्य प्राधिकरण की दिनांक 21.05.2011 को 51 वीं बोर्ड बैठक में 46 वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या– 46.3 की अनुपालन आख्या पर एस.टी.सी.पी. द्वारा अवगत कराया गया कि सर्वे टीम के गठन के लिये उनके द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर शासन का निर्णय अपेक्षित है। वरिष्ठ नियोजक द्वारा शासन के पत्र संख्या– 52 दिनांक 29.06.2011 के कम में संशोधित बिड डाक्यूमेन्ट अपने कार्यालय पत्र संख्या– 1613 दिनांक 28.07.2011 प्राधिकरण को प्रेषित किया गया जिसकी प्रति प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास विभाग को भी प्रेषित की गयी। वरिष्ठ नियोजक द्वारा प्रेषित उक्त संशोधित बिड डाक्यूमेन्ट को अनुमोदन करने एवं निविदा आमन्त्रित करने की अनुमति हेतु शासन को कार्यालय पत्र संख्या– 1495 दिनांक 05.08.2011 द्वारा प्रेषित किया जिसकी प्रति वरिष्ठ नियोजक को भी पृष्ठांकित की गयी। प्राधिकरण द्वारा प्रेषित उक्त पत्र के कम में शासन द्वारा पुनः अपने पत्र संख्या– 612 दिनांक 19.08.2011 के द्वारा पीपीपी सेल द्वारा दिये गये सुझावो / बिन्दुओं का समावेश करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये । तदोपरान्त उपरोक्त प्राप्त आवश्यक बिन्दुओं / सुझावो के समावेश हेतु (प्रति संलग्न कर) वरिष्ठ नियोजक को कार्यालय पत्र संख्या– 1777 दिनांक 30.08.2011 द्वारा प्रेषित किया गया जिसकी प्रति शासन को भी पृष्ठांकित की गयी है।

वरिष्ठ नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या– 2029 दिनांक 19.09.2011 के द्वारा अवगत कराया गया कि "ऋषिकेश महायोजना की अवधि वर्ष 2011 है महायोजना अवधि की समाप्ति एवं बिड डाक्यूमेन्ट को अन्तिम रूप दिये जाने में हो रहे विलम्ब के कारण पुनरिक्षित महायोजना तैयार करने मे बिलम्ब हो रहा है। अतः सुझाव है कि पृथक से ऋषिकेश महायोजना से सम्बन्धित महायोजना क्षेत्र का आधार मानचित्र तैयार करने हेतु सर्व प्रथम सर्वेक्षण कार्य प्राधिकरण स्तर से शीघ्र तैयार कर लिया जाय ताकि बेस मैप तैयार होने पर ऋषिकेश महायोजना के पुनरिक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित हो सकें "। साथ ही उक्त कार्य हेतु विशेषज्ञ एजेन्सी के चयन हेतु रूड़की विनियमित क्षेत्र की महायोजना तैयार करने हेतु तैयार बिड डाक्यूमेन्ट का प्रारूप भी प्रेषित किया गया तथा उसी आधार पर प्राधिकरण स्तर से अग्रेतर कार्यवाही हेतु लिखा गया, जिसकी प्रति प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास विभाग, देहरादून को प्रकरण पर दिनांक 16. 09.2011 को हुये उनके विचार विमर्श के कम में प्रेषित की गयी।

प्राधिकरण द्वारा उक्त बिड डाक्यूमेन्ट प्रारूप को ऋषिकेश महायोजना के सर्वे एवं बेस मैप तैयार करने हेतु रूड़की विनियमित क्षेत्र की महायोजना तैयार करने हेतु तैयार बिड डाक्यूमेन्ट मे आवश्यक संशोधन कर जॉच हेतु ई–मेल के माध्यम से दिनांक 13.10.2011 में एस.टी.सी.पी. को प्रेषित किया गया है।

चूंकि ऋषिकेश महायोजना की अवधि 31 दिसम्बर 2011 में समाप्त हो रही है। वर्ष 2011 को समाप्त हो जाने में कुछ माह का समय ही अवशेष है तथा इतने कम समय में उक्त समस्त कार्यवाही को पूर्ण किया जाना सम्भव प्रतीत नही होता है। अतः प्रस्ताव है कि वर्तमान मे प्रचलित ऋषिकेश महायोजना 2011 को नई महायोजना आनेतक यथावत् लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या–52(02)

ट्रांसपोर्ट नगर योजना मे आरक्षण वर्ग के रिक्त भूखण्डों को सामान्य वर्ग के आवेदकों को नीलामी–सह निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास विकास प्राधिकरण की 51वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–7 के सम्बन्ध में पारित निर्णय के कम में शासनादेश संख्या 1286 दिनांक 26.07.08 के अनुसार निम्न आरक्षण व्यवस्था लागू की गयी थी। लागू आरक्षण एवं आवंटन का विवरण निम्न प्रकार हैः–

कैटेगरी	शीर्ष आरक्षण का प्रतिशत	क्षैतिज आरक्षण					
		महिला	सीनियर सिटीजन	भूतपूर्व सैनिक	विकलांग	स्व0सं0सै0 के आश्रित	अन्य
अनुसूचित जाति	19%	30%	10%	2%	3%	2%	53%
अनुसूचित जनजाति	4%	30%	10%	2%	3%	2%	53%
अन्य पिछडा वर्ग	14%	30%	10%	2%	3%	2%	53%
सांसद, विधायक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	05%	30%	10%	2%	3%	2%	53%
राज्य सरकार के कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक Above 50 Year	06%	30%	10%	2%	3%	2%	53%
उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त पत्रकार	2%	30%	10%	2%	3%	2%	53%

उपरोक्त के कम में प्राधिकरण द्वारा समय–2 पर राज्य एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए पंजीकरण खोला गया। प्रथम चरण के पंजीकरण दिनांक 16.06.05 से 15.07.05 तक खोला गया। पुनः रिक्त सम्पत्ति के लिए द्वितीय चरण में पंजीकरण दिनांक 11.12.06 से 10.01.07, तृतीय चरण का पंजीकरण दिनांक 01.02.09 से 20.03.09 तक तथा चतुर्थ चरण का पंजीकरण दिनांक 22.03.11 से 21.04.11 तक खोला गया। चारो चरणों में आरक्षण के अनुसार आवंटित हुए भूखण्डों का विवरण सारणी में अंकित किया गया है।

52(2) ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आरक्षण वर्ग के रिक्त भूखण्डों को समान्य वर्ग के आवेदकों को नीलामी–सह निविदा के माध्यम से विक्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई तथा विचार–विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूँकि ट्रांसपोर्ट नगर योजना में भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य ही ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को शहर से विस्थापित किये जाने हेतु किया गया है अतः योजना के मूल उद्देश्य को बनाये रखने हेतु ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के समुचित विस्थापन सम्बन्धी कार्य हेतु अधिक प्रयास करते हुए सम्यक प्रस्ताव प्राधिकरण की सुस्पष्ट संस्तुति /अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

52(3) हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत आरक्षित 16 आश्रय भवनों को विक्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम हरिद्वार द्वारा सार्वजनिक भूमि से हटाये गये अतिक्रमणकारियों को आवंटन किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

52(4) हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित 15 आश्रय भवनों के डिफाल्टर आवंटियों के आवंटन निरस्तीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे डिफाल्टरों से अवशेष धनराशि की वसूली हेतु ओर अधिक प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये।

52(5) प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों एवं भवनों की लीज हस्तांतरण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बैठक में विस्तार से चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को शासन को सन्दर्भित किया जाय।

52(6) श्री बिहारी लाल पुत्र स्व0 श्री गागन दास द्वारा ऋषिकेश के खसरा सं0–74/7 मि0 जिसका भू–खण्ड क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी0 है, पर किये गये निर्माण को जिसका भू–उपयोग कार्यालय(जी) के अन्तर्गत है, में व्यावसायिक/आवासीय निर्माण को शमन स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के स्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary　　Vice Chairman　　Chairman/Commissioner

भूखण्ड की श्रेणी	संख्या	आरक्षण शीर्ष आरक्षण एवं प्रतिशत		क्षैतिज आरक्षण											
	कुल भूखण्डों की सं0	वर्ग		महिला (30%)		सीनियर सिटीजन (10%)		भूतपूर्व सैनिक (2%)		विकलांग (3%)		स्व0सं0सै0 के आश्रित (2%)		अन्य आवेदक (53%)	
		वर्ग	सं0	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)
गोदाम (G-1)	5	सामान्य वर्ग	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	05	04
योग			5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4
गोदाम (G-2)	22	सामान्य	11	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
गोदाम (G-2)		अनुसूचित जाति	4	01	0	01	0	0	0	0	0	0	0	02	0
गोदाम (G-2)		अनुसूचित जनजाति	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
गोदाम (G-2)		अन्य पिछडा वर्ग	03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	0
गोदाम (G-2)		MP/MLA/ FF	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
गोदाम (G-2)		Govt. Emp / Army Personal	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			22	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	10
गोदाम (G-3)	22	सामान्य	09	03	0	01	0	0	0	0	0	0	0	05	2
गोदाम (G-3)		अनुसूचित जाति	3	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	0
गोदाम (G-3)		अनुसूचित जनजाति	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
गोदाम (G-3)		अन्य पिछडा वर्ग	03	01	0	01	0	0	0	0	0	0	0	01	0
गोदाम (G-3)		MP/ MLA/ FF	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
गोदाम (G-3)		Govt. Emp / Army Personal	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
			18	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	2

भूखण्ड की श्रेणी	संख्या	आरक्षण शीर्ष आरक्षण एवं प्रतिशत		क्षैतिज आरक्षण											
	कुल भूखण्डों की सं0	वर्ग		महिला (30%)		सीनियर सिटीजन (10%)		भूतपूर्व सैनिक (2%)		विकलांग (3%)		स्व0सं0सै0 के आश्रित (2%)		अन्य आवेदक (53%)	
		वर्ग	सं0	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)
गोदाम (G-4)	40	सामान्य	20	06	0	02	0	0	0	01	0	0	0	11	6
गोदाम (G-4)		अनुसूचित जाति	08	02	0	01	0	0	0	01	0	0	0	04	0
गोदाम (G-4)		अनुसूचित जनजाति	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
गोदाम (G-4)		अन्य पिछडा वर्ग	05	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03	0
गोदाम (G-4)		MP/MLA/ FF	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
गोदाम (G-4)		Govt. Emp / Army Personal	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
गोदाम (G-4)		उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त पत्रकार	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
			40	13	0	3	0	0	0	2	0	0	0	22	6
वर्कशाप(W-1)	4	सामान्य वर्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04	01
योग			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1

भूखण्ड की श्रेणी	संख्या	आरक्षण शीर्ष आरक्षण एवं प्रतिशत		क्षैतिज आरक्षण											
	कुल भूखण्डों की सं0	वर्ग		महिला (30%)		सीनियर सिटीजन (10%)		भूतपूर्व सैनिक (2%)		विकलांग (3%)		स्व0सं0सै0 के आश्रित (2%)		अन्य आवेदक (53%)	
		वर्ग	सं0	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)
शौ–रूम (SH-1)	08	सामान्य	04	01	0	01	0	0	0	0	0	0	0	02	01
शौ–रूम (SH-1)		अनुसूचित जाति	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
शौ–रूम (SH		अन्य पिछडा वर्ग	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01
शौ–रूम (SH		Govt. Emp / Army Personal	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
			8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2

भूखण्ड की श्रेणी	संख्या	आरक्षण शीर्ष आरक्षण एवं प्रतिशत		क्षैतिज आरक्षण											
	कुल भूखण्डों की सं0	वर्ग		महिला (30%)		सीनियर सिटीजन (10%)		भूतपूर्व सैनिक (2%)		विकलांग (3%)		स्व0सं0सै0 के आश्रित (2%)		अन्य आवेदक (53%)	
		वर्ग	सं0	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)
दुकान (S-1)	56	सामान्य	28	08	05	02	02	01	0	01	0	01	01	15	14
दुकान (S-1)		अनुसूचित जाति	11	03	0	01	0	0	0	01	0	0	0	06	0
दुकान (S-1)		अनुसूचित जनजाति	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
दुकान (S-1)		अन्य पिछडा वर्ग	08	02	02	01	0	0	0	0	0	0	0	05	05
दुकान (S-1)		MP/ MLA / FF	03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	0
दुकान (S-1)		Govt. Emp / Army Personal	03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	01
दुकान (S-1)		उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त पत्रकार	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
			56	16	7	4	2	1	0	2	0	1	1	32	20

भूखण्ड की श्रेणी	संख्या	आरक्षण शीर्ष आरक्षण एवं प्रतिशत		क्षैतिज आरक्षण											
	कुल भूखण्डों की सं0	वर्ग		महिला (30%)		सीनियर सिटीजन (10%)		भूतपूर्व सैनिक (2%)		विकलांग (3%)		स्व0सं0सै0 के आश्रित (2%)		अन्य आवेदक (53%)	
		वर्ग	सं0	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)	(Res.)	(All)
ट्रांसपोर्ट आफिस (To-1)	56	सामान्य	28	08	04	02	02	01	01	01	0	01	01	15	14
ट्रांसपोर्ट आफिस (To-1)		अनुसूचित जाति	11	03	0	01	0	0	0	01	0	0	0	06	03
ट्रांसपोर्ट आफिस (To-1)		अनुसूचित जनजाति	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
ट्रांसपोर्ट आफिस (To-1)		अन्य पिछडा वर्ग	08	02	01	01	0	0	0	0	0	0	0	05	03
ट्रांसपोर्ट आफिस (To-1)		MP/ MLA / FF	03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	0

ट्रांसपोर्ट आफिस (To-1)		Govt. Emp / Army Personal	03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	02	0
ट्रांसपोर्ट आफिस (To-1)		उत्तराखण्ड से मान्यता प्राप्त पत्रकार	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0
			56	16	5	4	2	1	1	2	0	1	1	32	20

उपरोक्तानुसार अनुसूचित जाति में आरक्षित 39 भूखण्डों के सापेक्ष 03, अनुसूचित जनजाति के 08 भूखण्डों के सापेक्ष 00, अन्य पिछडा वर्ग 28 भूखण्डों के सापेक्ष 11, विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 10, भूखण्डों के सापेक्ष 00, राज्य सरकार कार्मिक एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिक 12 भूखण्डों के सापेक्ष 01, उत्तराखण्ड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार के 05 भूखण्डों के सापेक्ष 00 आवंटन हुए है। इस प्रकार आरक्षित वर्ग से 102 भूखण्ड के सापेक्ष 15 आवंटन ही हुए जबकि 04 बार पंजीकरण खोला गया तथा व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की शर्तों के अनुसार अधिग्रहीत भूमि का उपयोग निर्धारित अवधि के अन्तर्गत किया जाना था परन्तु प्रयास करने के बावजूद आरक्षण में रिक्त भूखण्डों का विकय सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि नगर में विभिन्न स्थानो पर ट्रांसपोर्ट से सम्बन्धित व्यवसायियों को हटाकर एक स्थान पर विस्थापित किये जाने की दृष्टि से ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना इस उद्देश्य से की गयी थी कि शहर में यातायात एवं प्रदूषण आदि को संतुलित किया जा सके। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण हित में आरक्षित वर्ग के भूखण्डों का सभी वर्गों के लिए पजीकरण खोलते हुए आवंटन किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–52(03)

हरिलोक आवासीय योजना के अर्न्तगत आरक्षित 16 आश्रय भवनों को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की 51वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–02 के क्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासनादेश संख्या– 2228 दिनांक 01.05.1997 के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सामर्थ्य व क्षमता के आधार पर भवन उपलब्ध कराने हेतु आश्रय भवनों का निर्माण कराये जाने के निर्देश थे। उपरोक्त शासनादेश में स्पष्ट था कि "उक्त भवन प्राथमिकता के आधार पर जो लोग सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके रहने लगे हैं और उस सार्वजनिक भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अपरिहार्य है तथा जो अत्यन्त प्रदूषित वातावरण में झुग्गी झोपडियों में रहते हों, को विस्थापित करते हुए भवन उपलब्ध कराये जायें तथा उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन आदि के माध्यम से ऐसे व्यक्ति भी आ सकते हों जो तत्काल प्राथमिकता में नहीं आते हैं।" हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा हरिलोक योजना में कुल 78 आश्रय भवनों का निर्माण किया गया था। शासनादेश के अनुसार निर्मित भवनों में से 25 प्रतिशत भवन अर्थात 16 भवन भविष्य में सार्वजनिक भूमि पर रह रहे व्यक्तियों को हटाकर विस्थापित करने हेतु आरक्षित रखे गये। उक्त आरक्षित 16 भवनों को विक्रय हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया गया था परन्तु शासन से उक्त भवनों को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए। लम्बे अन्तराल तक रिक्त रहने के कारण उक्त भवन जीर्ण–शीर्ण हो चुके हैं।

अतः प्रस्ताव है कि उक्त 16 आरक्षित भवनों को दुर्बल आय वर्ग भवनों में परिवर्तित करने एवं वर्तमान मूल्य निर्धारित करते हुए नियमानुसार आवंटन करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–52(04)

हरिलोक आवासीय योजना के अर्न्तगत आवंटित 15 आश्रय भवनों के डिफाल्टर आवंटियों के आवंटन निरस्तीकरण के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 शासनादेश संख्या–2228 दिनांक 01.05.1997 के अनुसार हरिलोक योजना में कुल 78 आश्रय भवनों का निर्माण किया गया। शासनादेश के अनुसार निर्मित भवनों में से 62 आश्रय भवनों का आवंटन नियमावली के अन्तर्गत किया गया था। भवन मूल्य रूपया–48000 निर्धारित किया गया। उक्त आवंटित भवनों को 15 रूपया प्रतिदिन या मासिक रूपया–450/465 पर 18 वर्ष की किश्तों पर आवंटित किए गये।

आवंटित भवनों में से 15 भवनों के आवंटी ऐसे हैं जिनके द्वारा किश्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। आवंटियों को बार–बार पत्र भेजे जा चुके है तथा बकायेदार आवंटियों के लिए सूचना समाचार पत्र दिनांक 21.05.2011 में प्रकाशित कर सूचित किया जा चुका है परन्तु बकायेदारों द्वारा देय किश्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मात्र 06 आवंटियों द्वारा भवन का कब्जा प्राप्त किया गया और 09 आवंटियों द्वारा कब्जा भी प्राप्त नहीं किया गया है।

आवंटन नियमावली के सामान्य नियम संख्या–04 में यह प्राविधान है कि पंजीकरण/आवंटन तिथि के 03 माह के अन्दर भवन का कब्जा न लेने पर पंजीकरण/आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। परन्तु उक्त नियमावली में पंजीकरण/आवंटन/किश्त जमा राशि के वापस करने या जब्त किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। परन्तु ऐसी स्थिति में प्राधिकरण के श्रम एवं क्षति की प्रतिपूर्ति नहीं हो पायेगी।

अतः प्रस्ताव है कि इस योजना में डिफाल्टर आवंटियों का आवंटन निरस्त करते हुए अबतक जमा समस्त धनराशि को जब्त करके भवनों को खाली कराकर इन भवनों को इ.डब्लू.एस. भवनों मे परिवर्तित करते हुये पुनः नियमानुसार आवंटन करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–52(05)

प्राधिकरण की आवासीय योजनाओ में लीज पर आवंटित भूखण्डो एवं भवनों की लीज हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओ में भूखण्डो /भवनों की लीज समाप्त करते हुए फ्री–होल्ड पर आवंटित करने का शासनादेश संख्या 1639/9–आ–1–95–80/मिस 86 दिनांक 10.05.95 निर्गत किया गया था। शासनादेश से पूर्व के आवंटित भवनों/भूखण्डो के प्रीमियम मूल्य का 10 प्रतिशत लीज–रेण्ट (90वर्ष के लिए) तथा प्रीमियम मूल्य का 2 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क लेकर फ्री–होल्ड डीड निष्पादित की जा रही है। प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में निर्मित बहुमंजिले भवनों में भूमि का अधिकार संयुक्त रूप से है। ऐसी दशा में बहुमंजिले भवनो में आवंटित लीज को स्वामित्व मुक्त अधिकार दिये जाने में व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए फ्री–होल्ड की कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का विकय आवंटियों द्वारा किया गया है। लीज पर आवंटित ऐसे भवनों/भूखण्डो को लीज की शर्तो के अनुसार प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना विकय/लीज हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। लीज पर आवंटित भूखण्डो/भवनों के विकय हो जाने की दशा में अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीति निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव हैः–

1– ऐसे केता जिन्होने प्राधिकरण द्वारा आवंटित लीज भूखण्ड को बिना अनुमति के कय कर लिया गया है। ऐसे केताओं के आवेदन पत्र पर स्वामित्व का परीक्षण कराकर अवशेष लीज–रेंट एवं केता के वर्तमान विकय मूल्य का 10 प्रतिशत दण्ड लेकर फ्री–होल्ड की कार्यवाही निष्पादित कर दी जाए।

2– प्राधिकरण द्वारा लीज पर आवंटित बहुमंजिलें भवनों के ऐसे आवंटी जिनके द्वारा बिना प्राधिकरण की अनुमति के भवन कय कर लिया गया है। उनके सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त होने पर केता के विकय पत्र का परीक्षण कराकर अवशेष लीज–रेंट तथा विकय मूल्य का 10 प्रतिशत दण्ड चार्ज कर केता के पक्ष में लीज ट्रांसफर की कार्यवाही निष्पादित कर दी जाए।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–52(06)

श्री बिहारी लाल पुत्र स्व0 श्री गागन दास द्वारा ऋषिकेश के खसरा सं0–74/7 मि0 जिसका भू–खण्ड क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी0 है, पर किये गये निर्माण को जिसका भू–उपयोग कार्यालय (G) के अन्तर्गत है, में व्यावसायिक/आवासीय निर्माण को शमन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आवेदक श्री बिहारी लाल पुत्र स्व0 श्री गागन दास द्वारा ऋषिकेश के खसरा सं0–74/7 मि0 जिसका क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी0 है, पर प्राधिकरण की बिना अनुमति के किये गये व्यवसायिक निर्माण को शमन किये जाने का अनुरोध किया गया है। किये गये निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण में वाद संख्या– नो0/ऋषि0/63/2010–11 योजित एवं विचाराधीन है। आवेदक को उक्त सम्पत्ति चन्द्रभागा पुल ऋषिकेश से संयुक्त यात्रा बस स्टैण्ड पर मिलने वाले बाईपास निर्माण हेतु उनकी भूमि व दुकानों के अधिग्रहण के फलस्वरूप प्रशासन द्वारा आंवटित की गई है जो उद्वरण खतौनी में दर्ज अभिलेख है। तथा प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश द्वारा अपने पत्र संख्या 11/रीडर दिनाक 03.05.2008 द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का निर्विवाद/वाद रहित भूमि के क्षेत्रफल के अन्तर्गत होने का उल्लेख किया है।

प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग ऋषिकेश महायोजना भाग (ब) के अनुसार कार्यालय (G) के अन्तर्गत है। महायोजना की *जोनिंग रेगुलेशन* के अनुसार कार्यालय भू–उपयोग में व्यवसायिक/आवासीय उपयोग का निर्माण विकास प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष *परिस्थितियों* में अनुमोदित भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत स्थल का भूखण्ड क्षेत्रफल 159.00 वर्ग मी0 हैं। भवन उपविधि के अनुसार व्यवसायिक निर्माण हेतु न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 175.00 वर्ग मी0 होना आवश्यक है, जो कि निर्धारित भूखण्ड क्षेत्रफल से 16.00 वर्ग मी0 कम है।

अतः उपरोक्त स्थिति का देखते हुए कार्यालय भू–उपयोग में व्यवसायिक/आवासीय निर्माण की स्वीकृति एवं भवन उपविधि के अनुसार व्यवसायिक निर्माण हेतु आवश्यक क्षेत्रफल 175.00 वर्ग मी0 से कम 159.00 वर्ग मी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर निर्माण को शमन स्वीकृत किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–52(07)

डा0 डी0के0 श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री वैधनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नम्बर–91(क) मि0 जिसका भू–उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

डा0 डी0के0 श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री वैधनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द–ऋषिकेश के खसरा नम्बर 91(क) मि0 जिसका भू–उपयोग ऋषिकेश महायोजना भाग (ब) के अनुसार कार्यालय (G) के अन्तर्गत है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकरण को प्राधिकरण की 51वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–51(04) पर विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई तथा निर्देश दिये गये कि मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी समस्त नियमों इत्यादि का विस्तृत परीक्षण करते हुए स्पष्ट संस्तुति सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाऐं।

प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्देश के क्रम में मानचित्र का तकनीकी रूप से परीक्षण किया गया। आवेदक का भूस्वामित्व स्पष्ट है। आवासीय के रूप में प्रस्तुत मानचित्र संशोधित भवन उपविधि–2007 के प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है जो कि स्वीकृति योग्य है। प्रस्तनगत स्थल के सामने सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनी निर्मित है तथा स्थल के आस–पास पूर्व से ही आवासीय/आश्रम भवन निर्मित है चूंकि उक्त स्थल का भू–उपयोग कार्यालय (G) के अन्तर्गत है। उक्त भू–उपयोग के अन्तर्गत महायोजना की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भवन का निर्माण विशेष परिस्थितियों में विकास प्राधिकरण सभा द्वारा अनुमोदित भू–उपयोग के अन्तर्गत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

52(7) डा0 डी0के0श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री वैधनाथ प्रसाद आदि द्वारा ग्राम वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश के खसरा नम्बर–91(क) मि0 जिसका भू–उपयोग कार्यालय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के स्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

52(8) दुर्बल आय वर्ग भवनों के आवंटन में विधायक, सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं राज्य सरकार के कार्मिकों एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिकों (जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों) को देय आरक्षण के सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण सर्व सम्मति से प्राधिकरण के स्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित शासन को सन्दर्भित किये जाने के निर्देश दिये गये।

52(9) चन्द्राचार्य चौक के विकास के मध्य शंकर आश्रम से भगत सिंह चौक की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के साथ बन रहे ब्लाईंड कर्व को दर्शित (Visual) करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की भूमि में से 32 वर्ग मी0 भूमि को अधिग्रहित /आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त सड़क का निर्माण जनहित में प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। अतः जनहित में जिलाधिकारी के माध्यम से उक्त भूमि अधिग्रहण किये जाने के प्रयास किये जाय तद्नुसार प्रस्ताव पर निर्णय हेतु अधिकार अध्यक्ष/आयुक्त में निहित रहेंगे।

52(10) शमन हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल के निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के स्पष्ट संस्तुति/अभिमत सहित आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

52(11) अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अवस्थापना विकास निधि मद में संचित धनराशि पर आयकर लगाये जाने सम्बन्धी बिन्दु पर अध्यक्ष द्वारा इस प्रकरण पर साडा एवं अन्य प्राधिकरणों से सम्पर्क स्थापित करते हुए आयकर छूट हेतु उचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

Secretary | Vice Chairman | Chairman/Commissioner

मद संख्या–52(08)

दुर्बल आय वर्ग भवनों के आवंटन में विधायक, सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी एवं राज्य सरकार के कार्मिकों एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिकों (जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों) को देय आरक्षण के संबंध में :–

आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड के विकास प्राधिकरणों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में आरक्षण प्रदान करने संबंधी शासनादेश संख्याः–1286 दिनांक 26–07–2006 निर्गत किया गया था जिसमें अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के साथ–साथ विधायक, सांसद व स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी हेतु 05 प्रतिशत एवं राज्य सरकार के कार्मिकों एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिकों (जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों) को 06 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्राविधान है। प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2006 एवं 2009 में इन्द्रलोक आवासीय योजना में भूखण्डों/भवनों के आवंटन हेतु पंजीकरण खोला जा चुका है तथा अधिकांश भूखण्डों एवं भवनों का आवंटन सामान्य/आरक्षित श्रेणीयों के आवेदकों के पक्ष में किया जा चुका है। दुर्बल आय वर्ग भवनों का आवंटन दुर्बल आय श्रेणी के आवेदकों के मध्य किये जाने के कारण कुछ भवन विधायक, सांसद एवं स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आरक्षित श्रेणी एवं राज्य सरकार के कार्मिकों एवं सुरक्षा सेवा के कार्मिकों, जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण के चुके हो, की आरक्षित श्रेणी वर्ग हेतु रिक्त है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा इसी योजना के अंतर्गत 48 दुर्बल आय वर्ग के भवनों एवं इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के अंतर्गत 256 दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य भी कराया जाना प्रस्तावित है। चूँकि उपरोक्त दोनों ही आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों की आय दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के पात्र आवेदकों से अधिक होने के कारण इस आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत रिक्त प्रश्नगत भवनों एवं प्रस्तावित निर्माणाधीन भवनों का आवंटन किया जाना सम्भव नहीं हो सकता है ।

अतः उपरोक्त दोनों आरक्षण श्रेणी को आरक्षण देना व्यवहारिक न होने के कारण इन वर्गों हेतु आरक्षित भवनों को अन्य श्रेणीयों में प्रतिशत के आधार पर विभाजित कर आवंटन किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या–52(09)

चन्द्राचार्य चौक के विकास के मध्य शंकर आश्रम से भगत सिंह चौक की ओर मुडने हेतु बन रहे कर्व को दर्शित (Visual) करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की भूमि में से 32 वर्ग मी0 भूमि को अधिग्रहित/आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की अवस्थापना विकास निधि मद से चन्द्राचार्य चौक का विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। शंकर आश्रम से हरिद्वार की तरफ आकर चन्द्राचार्य चौक से भगत सिंह चौक की ओर मुडने पर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय द्वारा निर्मित बाउन्ड्री वाल के कारण ब्लाईंड कर्व बन रहा है। आवागमन के दृष्टिगत इसको दर्शित (**Visual**) किया जाना आवश्यक है। दिनांक 22.09.2011 को जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में शहर के विकास योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान चन्द्राचार्य चौक के विकास के सम्बन्ध मे विचार विमर्श किया गया जिसमें अवगत कराया गया कि उक्त कर्व को दर्शित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की भूमि से 32 वर्ग मी0 भूमि लेकर कर्व को स्मूथ किया जा सकता हैं इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्मित कार्यालय जो आवास विकास परिषद की दिल्ली रोड योजना के व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 11,12,13 पर निर्मित है तथा जिसका क्षेत्रफल 1241.77 वर्ग मी0 है में से 32 वर्ग मी0 भूमि का अधिग्रहण/आपसी सहमति के आधार पर क्रय करते हुए भगत सिंह चौक के मोड के घुमाव को स्मूथ कर लिया जाय।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या–52(10)
शमन हेतु भूखण्ड क्षेत्रफल के निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रचलित संशोधित भवन उपविधि 2007 में शासनादेश संख्या–2269/वी/आ–2007–55(आ)/2005 टी.सी. दिनांक 06.11.2007 में उल्लेख है कि मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 75.00 वर्ग मीटर निर्धारित है। प्राधिकरण में वर्तमान मे कई ऐसे प्रकरण है जिनका भूखण्ड क्षेत्रफल 75.00 वर्ग मीटर से कम है तथा जिसपर भूखण्ड स्वामियों द्वारा निर्माण कर लिया गया है। निर्माण उपरान्त उनके द्वारा निर्माण को शमन कराने हेतु आवेदन किया गया है परन्तु उक्त शासनादेश अनुसार न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल से कम भूखण्ड क्षेत्रफल पर शमन की कार्यवाही की जानी सम्भव नहीं हो पा रही है। इस प्रकार 75.00 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के वादों का निस्तारण नही हो पा रहा है तथा इससे प्राधिकरण को आर्थिक क्षति भी हो रही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लागू शमन उपविधि 1996 के अनुसार शमन हेतु न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल 00–60 वर्ग मी0 का उल्लेख है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की भैगोलिक स्थिति एवं भूमि की कमी को दृष्टि से 75.00 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल की भूखण्डो की संख्या भी अधिक है। इस प्रकार के प्रकरणो पर वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड से 75.00 वर्ग मीटर से कम भूखण्ड क्षेत्रफल के भूखण्डो पर किये गये निर्माण को किस प्रकार शमन किया जाय, के सम्बन्ध में दिशा निर्देश मॉगे गये थे। वरिष्ठ नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या–2025 दिनांक 16.09.2011 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भूमि की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत निम्न व मध्यम आय वर्ग की Afordabillity के दृष्टिगत प्लाट एरिया पर शमन की कार्यवाही दिल्ली के शमन विनियमों के आधार पर किया जाना व्यवहारिक होगा।

अतः प्रस्ताव है कि उपरोक्तानुसार 75.00 वर्ग मीटर से कम आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल पर नियमानुसार शमन करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–52(11)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मद

संख्या –1619/V–आ0–2–2011–13(एल0यू0सी0)/2011

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार ।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 16 सितम्बर, 2011

विषय :हरिपुर कलां, हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून के पत्र संख्या–2000/नग्रानि/हरिद्वार महा0–तकनीकी/2011, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 की मूल प्रति (वापसी अपेक्षित) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून द्वारा प्रेषित हरिद्वार महायोजना–2025 के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड का अभिमत प्राप्त कर प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संलग्नक: यथोक्त (मूलरुप में, वापसी अपेक्षित)।

तत्काल
Secy
19/9/2011
VC

AE(R)

1617
13/9/11

मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड,
53, टी0एच0डी0सी0 विस्थापित क्षेत्र, तोमर काम्पलेक्स, देहराखास, देहरादून।

पत्रांक :- 2000/ नग्रानि/ हरिद्वार महा0–तकनीकी/ 2011 दिनांक: 12 सितम्बर, 2011

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः हरिपुर कलां, हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : शासन के पत्र संख्या–1434/V–आ0–2–2010–13(L.U.C.)/2011 दिनांक 24 अगस्त, 2011

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के प्रस्तर–2 में दिये गये निर्देश के क्रम में अवगत कराना है कि शासन में विचाराधीन हरिद्वार महायोजना– 2025 के सम्बन्ध में महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 27 अप्रैल, 2011 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोगों को यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के अनुसार पुनर्निधारित कर महायोजना का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के क्रम में भू–उपयोगों के पुनर्निधारण के साथ भू–उपयोगों के परस्पर समायोजन एवं परिवर्तित प्रारूप के सम्बन्ध में विचारणीय मुख्य–मुख्य बिन्दु **परिशिष्ट–1** में संलग्न है। यह भी उल्लेख करना है कि महायोजना मानचित्र में भू–उपयोगों के पुनर्निधारण के फलस्वरूप महायोजना प्रतिवेदन एवं परिक्षेत्रीय विनियमन में भी संशोधन आवश्यक होगा।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव एवं तत्सम्बन्धी परिशिष्ट–1 में वर्णित बिन्दुओं पर शासन की सहमति की दशा में अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें जिससे कि तदानुसार महायोजना को अन्तिम रूप देकर यथाशीघ्र शासन की अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके। इस हेतु विचाराधीन हरिद्वार महायोजना-- 2025 मानचित्र में भू–उपयोगों का पुनर्निधारण द्वारा प्रभावित स्थलों को प्रदर्शित करते हुये मानचित्र तथा संशोधित महायोजना प्रारूप मानचित्र की प्रति महोदय के अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार। 9185 13/9/11

भवदीय,

(एस0 के0 पन्त)
वरिष्ठ नियोजक।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव
आवास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
13/9

Narendra
13/9/11

परिशिष्ट–1

हरिद्वार महायोजना प्रारूप– 2025 में यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के अनुसार विचाराधीन निम्न प्रमुख संशोधन :–

1– भारत सरकार की यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स में महायोजना स्तर के आठ प्रमुख भू–उपयोग श्रेणियॉ वर्गीकृत है। दिनांक 27 अप्रैल, 2011 की बैठक मे प्रमुख सचिव, आवास द्वारा दिये गये निदेश के कम में यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के अनुसार महायोजना की भू–उपयोग श्रेणियों को पुनर्निर्धारित किया गया है। हरिद्वार क्षेत्र की तीर्थाटन महत्व एवं धार्मिक पर्यटन की विशिष्टता के दृष्टिगत कुम्भ मेला क्षेत्र एवं पर्यटन परिसर को विशेष भू–उपयोग श्रेणी अन्तर्गत रखा गया है। उक्तानुसार यू0डी0पी0एफ0आई0 की आदर्श जोनिंग रेग्यूलेशन्स के आधार पर पुनर्निर्धारित भू–उपयोग श्रेणियों के जोनिंग रेग्यूलेशन तैयार किये जायेंगे।

2– यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के अनुसार महायोजना में प्रस्तावित स्थानीय बस स्टैण्ड/ पार्किंग यूज जोन के प्रस्ताव को समाप्त किया गया है। महायोजना में उक्त भू–उपयोग के स्थान पर निम्न भू–उपयोग का प्रस्ताव विचारणीय है :–

(अ)– बहादराबाद क्षेत्र में सिंचाई विभाग परिसर के मध्य प्रस्तावित स्थानीय बस स्टैण्ड/ पार्किंग यूज जोन, जो प्रायः मेलों के दौरान पार्किंग हेतु प्रयुक्त होता है, को उक्त राजकीय परिसर का भाग होने के आधार पर यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के अनुसार सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक यूज जोन में प्रस्तावित किया जाना।

(ब)– शिवालिक नगर के निकट प्रस्तावित स्थानीय बस स्टैण्ड/ पार्किंग यूज जोन के निकट सीवेज फार्म का प्रस्ताव दिया गया है, जो यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के अनुसार सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक यूज जोन का भाग है। इस प्रकार स्थानीय बस स्टैण्ड/ पार्किंग यूज जोन को सम्मिलित करते हुये इस सम्पूर्ण भू–भाग को सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक यूज जोन में प्रस्तावित किया जाना।

(स)– ग्राम सलेमपुर महदूद अन्तर्गत प्रस्तावित 50 मीटर चौड़े मार्ग तथा उद्योग यूज जोन के मध्य प्रस्तावित स्थानीय बस स्टैण्ड/ पार्किंग यूज जोन अन्तर्गत स्थल का शासन द्वारा पूर्व महायोजना– 2001 में कृषि से व्यवसायिक में भू–उपयोग परिवर्तन पर निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप इसे व्यवसायिक भू–उपयोग अन्तर्गत प्रस्तावित किये जाने तथा उक्त स्थल के निकट प्रस्तावित पार्क का अपेक्षाकृत छोटे आकार होने के दृष्टिगत औद्योगिक यूज जोन की निरन्तरता में प्रश्नगत स्थल को औद्योगिक भू– उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाना।

(द)– प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के कम में हनुमन्तपुरम क्षेत्र में लक्सर मार्ग व कनखल मार्ग के मिलन बिन्दु पर विद्यमान लो लैण्ड को खुले क्षेत्र में रखते हुये शेष भाग, जो स्थानीय बस स्टैण्ड/ पार्किंग में प्रस्तावित है, को स्थल के निकटवर्ती हो रहे आबादी विस्तार के दृष्टिगत आवासीय यूज जोन में प्रस्तावित किया जाना।

..2

N.D.A.

3– ऐसे शमशान घाट/ कब्रिस्तान, जो अपेक्षाकृत छोटे आकार के रूप में चिन्हों द्वारा प्रदर्शित हैं तथा जिनका सीमांकन नहीं है अथवा सीमा अस्पष्ट है, को 1:16000 के मापक के महायोजना मानचित्र में सीमांकन में होने वाली त्रुटि के दृष्टिगत इन स्थलों को पृथक से महायोजना मानचित्र में दर्शाया जाना सम्भव नहीं है। यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के अनुसार शमशान घाट/ कब्रिस्तान जैसे भू–उपयोग सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक यूज जोन श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, को महायोजना प्रस्तावों के विस्तृतीकरण हेतु तैयार किये जाने वाले जोनल प्लान के स्तर पर उनके वास्तविक परिसर अनुसार तत्सम्बन्धी यूज जोन अन्तर्गत दर्शाया जाना प्रासंगिक होगा। तथापि, आधार मानचित्र में ऐसे कब्रिस्तान परिसर, जो स्पष्ट रूप से सीमांकित हैं, को पृथक से महायोजना में सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक भू–उपयोग के अन्तर्गत कब्रिस्तान/ शमशान घाट यूज जोन में प्रदर्शित किये जाने पर विचार।

4– महायोजना परिक्षेत्रीय विनियमन में निर्धारित प्राविधान अनुसार विकास क्षेत्र में गंगा नदी के समस्त जलधारा प्रवाह के तट के क्षेत्रों में, कुम्भ मेला क्षेत्र को छोड़कर, अन्य सकिय भू–उपयोग अन्तर्गत नदी की ओर न्यूनतम 50 मीटर क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में यू0डी0पी0एफ0आई0 गाईडलाईन्स के अनुसार मनोरंजन यूज जोन अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। जबकि शासनादेश संख्या– 1665/आ10/अभि0/2001'58/आवास/2001 दिनांक 19 जुलाई, 2001 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विद्यमान अन्य नालों/ नहर के किनारे 10 मीटर चौड़ी वृक्षारोपित/ वृक्षाच्छादित रूप में हरित क्षेत्र पट्टी को सुस्पष्ट रूप से 1:16000 मापक के महायोजना मानचित्र पर चिन्हित किया जाना व्यवहारिक न होने के कारण इनका पृथक से महायोजना मानचित्र में अंकन न किये जाने पर विचार।

5– महायोजना में सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित 50 मीटर चौड़ा मार्ग, जो मौके पर निर्मित है, को मौके के अनुसार विद्यमान मार्ग के रूप में दर्शाया गया है।

6– हरिद्वार विकास प्राधिकरण से प्राप्त राष्ट्रीय राज मार्ग के गजट नोटिफिकेशन संख्या– NHAI/PIU-DDN/22080/MISE/2007/1836 दिनांक 07–06–2011 के अनुसार 50 मीटर चौड़े बहादराबाद बाईपास के संरेखन को यथावत् दर्शाया जाना एवं तत्कम में पूर्व में दर्शाये प्रस्ताव के संरेखण में आवश्यक संशोधन एवं इसके निकट प्रस्तावित 24 मीटर चौड़े लिंक मार्ग के प्रस्ताव का औचित्य न होने के कारण इसे समाप्त किये जाने पर विचार।

7– हरिपुर कलॉ स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर अन्तर्गत प्रदर्शित बाग को समाप्त कर सम्पूर्ण परिसर को प्रस्तुत ले–आउट अनुसार सीमांकित कर यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के आधार पर विशिष्ट संस्थान के स्थान पर भू–उपयोग का पुनर्निर्धारण कर सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक यूज जोन में प्रस्तावित किया जाना।

8– नेत्र चिकित्सालय एवं संस्कृत एकेडमी के परिसर का प्राप्त विवरण अनुसार उक्त परिसर को यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के अनुसार विशिष्ट संस्थान यूज जोन से सार्वजनिक व अर्द्ध सार्वजनिक भू–उपयोग अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है तथा विशिष्ट संस्थान यूज जोन अन्तर्गत के शेष भाग को मौके पर

N.D.A.

..3

हो रहे आबादी विस्तार के दृष्टिगत आवासीय में प्रस्तावित किये जाने पर विचार। उपरोक्त संशोधन के फलस्वरूप महायोजना में आवासीय तथा विशिष्ट संस्थान भू–उपयोग को विभाजित करते हुये प्रस्तावित 12 मीटर चोड़े मार्ग का औचित्य न होने के कारण उक्त मार्ग प्रस्ताव समाप्त करने पर विचार।

9– शिवालिक नगर आवासीय योजनान्तर्गत ले–आउट स्तर के पार्कों को महायोजना स्तर पर पृथक से दर्शाया जाना प्रासंगिक न होने के कारण ले–आउट स्तर के पार्कों के प्रस्ताव को समाप्त कर इन्हें आवासीय भू–उपयोग अन्तर्गत प्रस्तावित किये जाने पर विचार।

10– महायोजना प्रारूप– 2025 पर सुनवाई समिति की संस्तुति के कम में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 2009 के कार्यवृत्त के बिन्दु– 2.1 में उमा भारती स्कूल को खुले क्षेत्र के स्थान पर प्रारूप के अनुसार स्कूल में ही रखे जाने एवं 2.7 में प्रेमनगर आश्रम चौक से भगत सिंह चौक को सम्बद्ध करने वाली 24 मीटर चौड़े मार्ग के दोनों ओर के क्षेत्र को आवासीय अन्तर्गत रखे जाने का निर्णय, जो महायोजना मानचित्र में परिलक्षित नहीं हो पाया, को उक्त निर्णय अनुसार महायोजना मानचित्र में सम्मिलित किये जाने पर विचार।

11– शासन के निर्देशानुसार ग्राम मिस्सरपुर मुस्तहकम में प्रस्तावित बस अड्डा को ग्राम देवपुर मुस्तहकम में 30.00 मीटर चौड़े लक्सर मार्ग एवं उससे पश्चिम की ओर जाने वाले 30.00 मीटर चौड़े प्रस्तावित बाईपास मार्ग के मिलन बिन्दु के सामने स्थित नगरपालिका परिषद, हरिद्वार के स्वामित्व की भूमि में प्रस्तावित करने के साथ बस अड्डा हेतु पूर्व में आरक्षित भूमि को उसके आस–पास के प्रस्तावित भू–उपयोग की निरन्तरता में सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक भू–उपयोग में प्रस्तावित किये जाने पर विचार।

12– हरिद्वार बाईपास से बैरागी कैम्प में स्थित घोड़ा पुलिस कैम्प की ओर जाने वाले मार्ग एवं नदी के मध्य के भाग में विद्यमान आश्रम परिसर को प्रारूप महायोजना में आश्रम भू–उपयोग में प्रस्तावित है, जिसको शासन को प्रेषित महायोजना में आश्रम से बाग में प्रदर्शित किया गया है। बाग यूज जोन में किये गये उक्त परिवर्तन का सन्दर्भ प्राधिकरण बोर्ड बैठक के निर्णय में न होने तथा मौके पर इस क्षेत्र में आश्रम परिसर विद्यमान होने के दृष्टिगत इस उप क्षेत्र को आश्रम भू–उपयोग अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाना उचित होगा। साथ ही उक्त संशोधन के साथ घोड़ा पुलिस कैम्प जाने वाले विद्यमान मार्ग के समानान्तर प्रस्तावित 18 मीटर चौड़ा मार्ग, जिसके संरेखण अन्तर्गत विद्यमान आश्रम परिसरों का भाग आच्छादित होता है, का प्रस्ताव अव्यवहारिक होने के दृष्टिगत उक्त मार्ग प्रस्ताव को समाप्त कर विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर प्रस्तावित किये जाने पर विचार।

13– सती कुण्ड का क्षेत्र को मौके पर विद्यमान स्थिति के अनुसार प्रदर्शित करते हुये शेष क्षेत्र को विद्यमान आवासीय निर्माण के दृष्टिगत आवासीय भू–उपयोग अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाना।

14– कालान्तर में शासन द्वारा पुराने रूड़की मार्ग पर ग्राम बेगमपुर में ऐरो ग्रुप के औद्योगिक आस्थान का भू–उपयोग परिवर्तन किया गया है। औद्योगिक परिसर के तलपट मानचित्र के आधार पर इससे लगे हुये आंशिक क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये औद्योगिक भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित करने तथा इसके निकट ग्राम– बेगमपुर की विद्यमान आबादी, जो महायोजना में अंकित नहीं हो पाई थी, को भी तदानुसार आवासीय में प्रस्तावित किये जाने पर विचार।

...4

(208)

15– रूड़की मार्ग पर प्राधिकरण सीमा के बाहर विद्यमान पतांजली योग पीठ व विश्वविद्यालय परिसर, क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क एवं इनके सन्निकट विगत में तीव्र गति से हो रहे आवासीय टाउनशिप विकास के साथ–साथ पुराने रूड़की मार्ग पर ऐरो ग्रुप द्वारा विकसित किये जा रहे औद्योगिक आस्थान के फलस्वरूप भविष्य में इस क्षेत्र की ओर नगरीय विस्तार की प्रबल सम्भावनायें हैं। उक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 16–09–2010 में रूड़की मार्ग पर प्राधिकरण क्षेत्र को रतमऊ नदी तक बढ़ाये जाने के निर्णय के कम में 15 ग्रामों को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। उक्त का संज्ञान लेकर बहादराबाद बाईपास से वर्तमान प्राधिकरण सीमा तक रूड़की मार्ग के दोनों ओर कृषि में भावी नगरीय विस्तार को नियोजित एवं नियंत्रित स्वरूप दिया जाना नियोजन की दृष्टि से आवश्यक है। इस हेतु मार्ग के दोनों ओर की पट्टी को आवासीय भू–उपयोग में प्रस्तावित करने तथा रोह नदी की निचली एवं बाढ़ग्रस्त भूमि को देखते हुये नदी तट से लगे 50 मीटर की पट्टी को हरित क्षेत्र के रूप में यू0डी0पी0एफ0आई0 गाईडलाईन्स के अनुसार मनोरंजन यूज जोन अन्तर्गत प्रस्तावित करने के निर्णय पर विचार।

उपरोक्त अनुसार हरिद्वार महायोजना– 2025 में विभिन्न भू–उपयोग का यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स के अनुसार पुनर्निर्धारण द्वारा भू–उपयोग प्रस्तावों के क्षेत्रफल में हुसे परिवर्तन का तुलनात्मक विवरण **परिशिष्ट–2** में दिया गया है, जिसका औचित्य निम्नानुसार है :–

1– आवासीय :–

शासन में विचाराधीन हरिद्वार महायोजना– 2025 में आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत, जिसमें आश्रम भी सम्मिलित हैं, में 3,809 .81 हेक्टेयर भूमि थी। पुनर्निर्धारित भू–उपयोग के अन्तर्गत 3932.93 हेक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार 122.12 हैक्टेयर भूमि की वृद्धि हुई है, जिसका प्रमुख कारण निम्नवत् है :–

(i) बहादराबाद के पास ग्राम अतमलपुर बौगंला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 500 मीटर गहराई तक आवासीय क्षेत्र का प्रस्ताव।

(ii) हरिद्वार महायोजना में सामुदायिक सुविधायें अन्तर्गत प्रस्तावित इण्टर कालेज तक की शिक्षण संस्थायें, जो आवासीय यूज जोन में अनुमन्य हैं, को आवासीय भू–उपयोग में सम्मिलित किया जाना।

(iii) आवासीय कालोनी स्तर पर विद्यमान पार्को एवं आवासीय क्षेत्रे अन्तर्गत प्रस्तावित कतिपय मार्ग संरेखन अव्यवहारिक हो जाने पर इनको आवासीय भू–उपयोग में समायोजित किया गया।

2– व्यवसायिक :–

महायोजना में व्यवसायिक भू–उपयोग अन्तर्गत पूर्व के सापेक्ष 3.24 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि हुई, जिसमें सिडकुल हाई–वे के सन्निकट स्थानीय बस स्टैण्ड के पास व्यवसायिक भू–उपयोग में बृद्धि तथा ऐरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 कम्पनी की ग्राम सलेमपुर महदूर भाग–1 में विकसित औद्योगिक परिसर के सम्मुख विचाराधीन व्यवसायिक उपयोग में भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों को समायोजन के कारण हुई है।

...5

परिशिष्ट–2

हरिद्वार महायोजना– 2025 में भू–उपयोग की गणना का तुलनात्मक विवरण

क्र0 सं0	भू–उपयोग वर्गीकरण (यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाईन्स पर आधारित)	शासन में विचाराधीन महायोजना– 2025				यू0डी0पी0एफ0आई0 गाईडलाइन्स पर पुनःनिर्धारित महायोजना– 2025			
		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		क्षेत्रफल (प्रतिशत)		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		क्षेत्रफल (प्रतिशत)	
1–	आवासीय	3493.05	3809.81	17.36	18.93	3612.28	3932.93	17.95	19.55
	आश्रम	316.76		1.57		320.65		1.60	
2–	व्यवसायिक		274.11		1.36		277.35		1.38
3–	औद्योगिक		1980.13		9.84		2160.18		10.74
4–	सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक (कार्यालय+ सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें)		842.46		4.19		679.18		3.38
5–	मनोरंजन								
	पार्क एवं खेल का मैदान	349.41	705.27	1.74	3.51	586.70	821.81	2.92	4.08
	खुला क्षेत्र	355.86		1.77		235.11		1.16	
6–	यातायात एवं परिवहन		1032.54		5.13		1034.22		5.14
7–	कृषि	7827.59		38.91		7550.64		37.53	
	बाग	188.74	10576.26	0.94	52.57	139.08	10231.60	0.69	50.86
	नदी/ नाले	1864.72		9.27		1864.72		9.27	
	वन, वृक्षारोपित क्षेत्र	695.21		3.45		677.16		3.37	
8–	विशेष क्षेत्र								
	पर्यटन	182.72	898.42	0.91	4.47	259.31	981.73	1.28	4.87
	मेला क्षेत्र	716.70		3.56		722.42		3.59	
	योग :—		**20119.00**		**100.00**		**20119.00**		**100.00**

मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड,
53, टी0एच0डी0सी0 विस्थापित क्षेत्र, तोमर काम्पलेक्स, देहराखास, देहरादून।

पत्रांक :– 2422/ नग्रानि/ ह0वि0प्रा0–बैठक/ 2011 दिनांकः 15 नवम्बर, 2011

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

विषयः हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 52वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02–11–2011 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या– 2598/ प्रशा0–2(क)–22/79/2011–12 दिनांक 08–11–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्राधिकरण की 52वीं बोर्ड बैठक दिनांक 02–11–2011 के कार्यवृत्त प्रेषित किया गया है। उक्त कार्यवृत्त के मद संख्या– 46(2) में हरिद्वार महायोजना–2025 को यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइड लाईन्स के आधार पर तैयार करने सम्बन्धी विचारणीय बिन्दु संख्या–9 एवं बिन्दु सख्या–12 में संशोधन का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि मद संख्या– 46(2) पर विचार–विमर्श के दौरान अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा महायोजना में सीवेज शोधन संयत्र एवं ठोस अपव्यय स्थल को सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक यूज जोन अन्तर्गत पृथक से उप श्रेणी में वर्गीकृत करने का सुझाव दिया गया, जिससे कि इस महत्वपूर्ण नगरीय अवस्थापना हेतु स्थल के प्राविधान को महायोजना में स्पष्ट रूप से प्रस्तावित किया जा सके। उक्त सुझाव पर बैठक में सदस्यों द्वारा अपनी सहमति दी गयी एवं तत्क्रम में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक/ अर्द्ध सार्वजनिक यूज जोन अन्तर्गत शासन को पूर्व में प्रेषित हरिद्वार महायोजना– 2025 के अनुसार दर्शाये सीवेज शोधन संयत्र एवं ठोस अपव्यय स्थल को पृथक से प्रस्तावित किया जाये।

उक्त निर्णय त्रुटिवश कार्यवृत्त में अंकित नहीं किया गया है। अतः इस निर्णय को कार्यवृत्त में सम्मिलित करते हुये कार्यवृत्त को इस स्तर तक संशोधन करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एस0 के0 पन्त)
वरिष्ठ नियोजक।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ अध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण।

(एस0 के0 पन्त)
वरिष्ठ नियोजक।